## <u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक :- 16ए / 16</u> <u>पुराना व्य.वाद.क्रमांक :- 04 / 11</u> <u>संस्थापन दिनांक:-28.01.2011</u> फाईलिंग नं. 15 / 2011

- अब्दे अली, वल्द हकीमुद्दीन, उम्र 51 वर्ष, निवासी मेन रोड, आमला तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. इरशाद वल्द सुलेमान, उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड कमांक 01 गणेश कॉलोनी आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

. <u>वादीगण</u>

### वि रू द्ध

- महेश कुमार साहू वल्द नंदलाल साहू उम्र 45 वर्ष,
- प्रेमकुमार वल्द अंतुलाल साहू, उम्र 55 वर्ष, दोनों निवासी मेन रोड आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. संभागीय यंत्री, म.प्र.वि.वि. कंपनी लिमि., उत्तर संभाग, बैतूल, जिला बैतूल
- 4. कनिष्ठ यंत्री / सहायक यंत्री म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी आमला (शहर), तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 6. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

## <u> -: ( निर्णय ) :-</u>

## (आज दिनांक 11.07.2017 को घोषित)

1 वादी द्वारा यह दावा तहसील अमला जिला बैतूल में स्थित भूखण्ड ख. नं. 336/1 रकबा 0.008 हे. (123 फिट उत्तर दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम उत्तर की ओर 8 फिट तथा पूर्व—पश्चिम दक्षिण की ओर 7 फिट) के सामने स्थिति 15 फिट चौड़े मार्ग वाद संलग्न नक्शे में अ,फ,क,ख,ट (अत्र पश्चात् विवादित रास्ता) में आवागमन के सुखाधिकार एवं उपर्युक्त रास्ते में प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाकर उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेत् पेश किया गया है।

- 2 प्रकरण में उल्लेखनीय है कि वाद लंबन के दौरान वादी क. 02 हकीमुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है तथा उनका पुत्र वादी क. 01 अब्देअली पूर्व से ही प्रकरण में पक्षकार है। प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के भूखण्ड ख.नं. 336 पर स्थित है तथा उक्त खसरा नंबर के मूल स्वामी गणेश अड़लक है।
- वादी द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क. 02 के द्वारा दिनांक 31.05.1990 को ख. नं. 336/1 रकबा 0.008 हे. की भूमि क्रय की गई, जिसके पूर्व में 15 फिट का रास्ता, पश्चिम में वादी क. 02 के अन्य सदस्यों के नाम की भूमि, उत्तर में मेन रोड तथा दक्षिण में 10 फिट का रास्ता है। पूर्व दिशा में स्थित 15 फिट रास्ते के पश्चात प्रतिवादी क. 01 एवं 02 के स्वामित्व का मकान है, जिसमें उनके निवास के अतिरिक्त आई.सी.आई.सी.आई किराएदार है। वादीगण उपर्युक्त विवादित रास्ते का जो कि उत्तर की ओर स्थित मेन रोड से दक्षिण में गणेश कॉलोनी से होता हुआ ग्राम रमली की ओर जाता है। उपर्युक्त विवादित रास्ते का उपयोग कई वर्षों से वादीगण सहित अन्य लोगों द्व ारा किया जा रहा है। प्रतिवादीगण क. 01 एवं 02 ने प्रतिवादी क. 03, 04, 05 से मिलकर विवादित रास्ते के 5 फिट भाग पर स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए ट्रांसफार्मर, जनरेटर लगाकर एवं पोल खड़े कर दिए हैं, इस कारण से विवादित रास्ते की चौड़ाई 15 फिट से 10 फिट रह जाएगी, जिससे कि वादीगण को अपने भूखण्ड के उपयोग व उपभोग में मार्गाधिकार में बाधा आएगी और उसे सुखाधिकार से वंचित होना पड़ेगा। वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को वाद संलग्न नक्शे में दर्शित बिन्दू क,ड,ठ पर पोल गाढने, ट्रांसफार्मर और जनरेटर स्थापित किए जाने से मना किए जाने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा अपने कार्य को नहीं रोका गया। अतः वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित 15 फिट के रास्ते पर सुखाधिकार की घोषणा एवं प्रतिवादीगण द्वारा विवादित रास्ते के 5 फिट भाग पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर भविष्य में रास्ते में अवरोध कारित ना करने हेतू आज्ञापक स्थायी निषेधाज्ञा हेतू प्रस्तुत किया गया है।
- 4 प्रतिवादी क. 01 एवं 02 की ओर से वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि वादीगण ने जिस विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1990 के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है, वह भूखण्ड पूर्व भूमि स्वामी के द्वारा आम रास्ते के लिए छोड़ा गया था। प्रतिवादी क. 01 एवं 02

का निवास संयुक्त ना होकर पृथक—पृथक है तथा प्रतिवादी क. 01 के मकान में आईसीआईसीआई बैंक किराएदार है। वादीगण ने वादपत्र के साथ जो नक्शा पेश किया है, वह मौके के अनुसार नहीं है और रास्ते की भूमि का अपनी भूमि बताया है, जबिक प्रतिवादीगण जवाब दावे के साथ जो नक्शा पेश कर रहे हैं, वह वास्तविकता पर आधारित है तथा उस नक्शे के संबंध में पृथक से टीप भी पेश की गई है। प्रतिवादीगण के मकान एवं वादीगण के उपर्युक्त भूखण्ड एवं अन्य भूखण्ड ख. नं. 336 पर ही है एवं इसके अतिरिक्त संपूर्ण गणेश कॉलोनी भी इसी खसरा नंबर पर बसी हुई है तथा भूखण्ड के विकेता के द्वारा आवासीय भूखण्ड बेचते समय 20 फिट का रास्ता छोड़ा गया था। वादीगण ने विधि विरुद्ध तरीके से रास्ते की भूमि खरीद ली है। वादीगण का स्वयं के द्वारा क्रय किए गए अपने भूखण्डों पर जर्जर हालत में एक गोडाउन है। वर्ष 1990 में क्रय किया गया भूखण्ड रिक्त है। प्रतिवादीगण के द्वारा रास्ते की भूमि पर ना ही पोल गाड़े गए हैं ना ही कोई जनरेटर लगाया गया है। विवादित रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। वादीगण ने रास्ते की भूमि का हड़प करने के लिए झूठा दावा पेश किया है। अतः दावा सव्यय निरस्त किया जाए।

- 5 प्रतिवादीगण क. 03 एवं 04 के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित रास्ते पर नगरपालिका द्वारा पक्का रास्ता निर्मित किया जा चुका है तथा उपर्युक्त रास्ते से ही विद्युत मंडल के द्वारा वार्ड वासियों को विद्युत प्रदाय की गई है तथा विवादित रास्ते पर लगाए गए ट्रांसफार्मर बीच रोड में नहीं लगाए गए हैं। नगरपालिका की सड़क के किनारे खंबे खड़े करके नगरपालिका के निर्देश अनुसार वार्ड वासियों की सुविधा को देखते हुए लगाए गए थे। उपर्युक्त ट्रांसफर्मर लगाने से किसी के सुखाधिकार का हनन नहीं होता है। अतः वादीगण का दावा निरस्त किया जाए।
- प्रित्तवादी क. 05 की ओर से वाद पत्र का लिखित में जवाब प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि वादीगण एवं प्रित्तवादीगण के भवन के बाद पूरा मोहल्ला वार्ड क. 01 ख. नं. 336 की भूमि पर बसा हुआ है तथा उपर्युक्त वार्ड के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रित्तवादी क. 05 नगरपालिका आमला के द्वारा स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत सन् 2000 में विवादित रास्ते पर 3 मीटर चौड़ी रोड का निर्माण कराया गया। जिसका उपयोग वार्ड क. 01 के निवासी करते आ रहे हैं और उस पर कोई भी अवरोध नहीं है तथा विद्युत प्रदाय हेतु इस सड़के के किनारे विद्युत विभाग द्वारा नगरपालिका की नाली के बाद पोल खड़े करके ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे कि विवादित रास्ते पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अतः वादीगण का सुखाधिकार हनन हेतु प्रस्तुत दावा सव्यय निरस्त किया जाए।

वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्व ारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं:—

酉.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी को वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित 15 फिट चौड़ा मार्ग अ,फ,क,ख,ट के उपयोग, उपभोग, आवागमन का सुखाधिकार प्राप्त है ?	
2.	क्या प्रतिवादीगण ने वादी के उक्त रास्ते पर अवरोध अतिक्रमण किया है ?	
3.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

# विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष वाद प्रश्न क. 01 का निराकरण

- वादीगण द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि उनके भूखण्ड की पूर्व दिशा कि और स्थित 15 फिट का विवादित रास्ता जिसे वाद संलग्न नक्शे में अ,फ,क,ख,ट से दर्शित किया गया है, वह उनके भूखण्ड के उत्तर की ओर स्थित मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर गणेश कॉलोनी होते हुए ग्राम रमली की ओर जाता है। उपर्युक्त विवादित रास्ते का वादीगण वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, जिस पर उन्हें सुखाधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त विवादित रास्ते के 5 फिट भाग पर प्रतिवादीगण ने अपने मकान के पश्चिम की ओर अतिक्रमण कर ट्रांसफार्मर, जनरेटर और विद्युत पोल लगा लिए हैं, जिससे वादीगण का विवादित रास्ते पर मार्गाधिकार का सुखाधिकार बाधित हो रहा है।
- 9 प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि ट्रांसफार्मर व जनरेटर विवादित रास्ते की भूमि पर नहीं है। नगरपालिका के द्वारा विवादित रास्ते पर जो पक्का रास्तो निर्मित किया गया है, उसके बाद उनके मकान की ओर नाली है। तत्पश्चात् मकान की ही तरफ जनरेटर और ट्रांसफार्मर उनके द्वारा लगाए गए हैं। प्रतिवादीगण क. 01 एवं 02 का यह महत्वपूर्ण अभिवचन है कि वादीगण जिस कय किए गए 127 वर्गफिट भूखण्ड का अवलंब लेकर विवादित रास्ते पर सुखाधिकार का दावा कर रहे हैं, वह भूखण्ड पूर्व भूस्वामी द्वारा रास्ते के उपयोग हेतु छोड़ा गया था। वादीगण के द्वारा रास्ते की भूमि क्रय की गई है।

वादीगण की ओर से विवादित रास्ते पर सुखाधिकार के संबंध में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में वादी अब्दे अली (वा.सा.-1) ने अपने कथनों में यह बताया कि उसके पिता हकीमुद्दीन (मृत वादी) के द्वारा ख. नं. 336/1 रकबा 0.008 हे. (127 फिट उत्तर दक्षिण, पूर्व-पश्चिम उत्तरी सिरे पर 8 फिट और दक्षिणी सिरे 7 फिट है) का भूखण्ड क्रय किया गया था, जिसके पूर्व की ओर 15 फिट का रास्ता, पश्चिम में वादी क्रमांक 01 एवं 02 के परिवार की भूमि उत्तर में मेन रोड दक्षिण में 10 फिट का रास्ता है। साक्षी ने आगे यह बताया कि पूर्व की ओर 15 फिट के रास्ते का उपयोग कई वर्षों से उसके द्वारा किया जा रहा है, इसी 15 फिट रास्ते में से 5 फिट पर प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर उसका सुखाधिकार बाधित कर दिया है। साक्षी ने यह बताया कि विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1985 (प्रदर्श डी-1) के अनुसार उसकी माँ फातिमाबाई के द्वारा क्रय भूखण्ड के पूर्व दिशा में 15 फिट के रास्ते का उल्लेख है तथा उसके द्वारा जिस भूखण्ड के आधार पर दावा लाया गया है उसके पूर्व में 15 फिट का रास्ता है, पश्चिम में हकीमुद्दीन व फातिमाबाई के नाम का प्लॉट है, परंतु साक्षी ने आगे इस सुझाव को गलत बताया कि उसके पिता हकीमुद्दीन के द्वारा रास्ते की भूमि क्रय की गई है।

अब्दे अली (वा.सा.—1) ने पैरा क. 16 में यह बताया कि 123 गुणा 8 फिट वाला भूखण्ड छोड़कर शेष भूखण्ड पर गोडाउन बना हुआ है, जिसका उपयोग दुकानों का सामान रखने के लिए किया जाता है। **पैरा क. 13 में साक्षी ने यह बताया कि गोडाउन का गेट उत्तर एवं पूर्व दोनों दिशा की ओर है।** अब्दे अली (वा.सा.—1) ने पैरा क. 14 में सुझाव दिए जाने पर इस बात की जानकारी ना होना बताया कि विकेता गणेश के द्वारा नवाज खान, कुरैशाबी, हसीनाबी को बेचे गए प्लॉट के पूर्व में तथा गुलुब एवं हाजी सुलेमान को बेचे गए प्लाट के पश्चिम में 20 फिट चौड़ा रास्ता लेख है तथा इस सुझाव को भी गलत बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा लगाया गया ट्रांसफार्मर सार्वजनिक उपयोग के लिए लगाया गया है।

12 वादी इरशाद (वा.सा.—2) ने अपने कथनों में यह बताया कि उसके घर के सामने 20 फिट चौड़ा रोड है और इतना ही चौड़ा रोड उत्तर की ओर स्थित मेन रोड तक आता है। साक्षी ने आगे यह बताया कि उसे कबाड़ का सामान घर तक विवादित रास्ते से लाने में अभी कोई परेशानी नहीं हो रही है, परंतु भविष्य में हो सकती है। पैरा क. 9 में साक्षी ने यह बताया कि विवादित रास्ता दक्षिण की ओर गणेश अड़लक के घर की सीमा पर खत्म होता है उसके बाद रेल्वे की फेंसिंग लगी हुई है। पैरा क. 12 में साक्षी ने यह बताया कि विवादित स्थल पर लगे ट्रांसफार्मर से विद्युत प्रदाय गणेश कॉलोनी को लोगों को

ना किया जाकर केवल बैंक को किया जाता है।

अब्दल फरीद (वा.सा.-3) ने अपने कथनों में यह बताया कि गणेश कॉलोनी में उनके मकान का प्लॉट उसकी मॉ कुरेशा बी के नाम पर है तथा जमीन की रजिस्ट्री में पश्चिम की ओर 20 फिट चौड़े रास्ते का उल्लेख है। वर्तमान में इस रास्ते के उपयोग में कोई असुविधा नहीं हो रही हैं। पैरा क. 8 में साक्षी ने यह बताया किया विवादित रास्ते पर नगरपालिका ने 10 फिट का चौड़ा रोड बनाया है और पानी निकास के लिए नालियां भी बनाई हैं। साक्षी का पैरा क. 11 में किया गया कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। साक्षी ने पैरा क. 11 में बताया है कि गणेश अड़लक ने वादी हकीमुद्दीन को वर्ष 1990 में गणेश कॉलोनी में 123 गुणा 7 फिट भूमि रास्ते की भूमि का विकय किया था। साक्षी ने स्वतः में यह कहा कि यह विकय गलत एवं इनलीगल है, क्योंकि 20 फिट चौड़ा रास्ता छोडा गया था। साक्षी ने यह भी बताया कि गणेश अड्लक द्वारा हकीमुद्दीन का सड्क की जमीन बेच देने से मौके पर रास्ते की चौड़ाई कम हो गई है। प्रतिवादी क. 05 की ओर सुझाव दिए जाने पर साक्षी ने यह बताया कि वादी हकीमुददीन का गोडाउन जंबाडा रोड पर है तथा उसके मकान के सामने 20 फिट का चौडा मार्ग मुख्य मार्ग पर आकर मिलता है और दूसरी तरफ रेल्वे पटरी तरफ जाता है।

14 अलीम (वा.सा.—4) ने यह बताया कि गणेश कॉलोनी में उसके मकान के सामने 20 फिट चौडा रोड है जो कि उत्तर की ओर मुख्य रोड तक जाता है और दूसरी तरफ रमली—नांदपुर तक जाता है। पैरा क. 9 में साक्षी का किया गया कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पैरा क. 9 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श डी—2 में कच्ची सड़क वाली जमीन वादी अब्दे अली ने खरीद ली है, यदि इस जमीन पर अब्दे अली मकान बना लेगा तो सड़क की चौड़ाई कम हो जाएगी। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया कि कॉलोनी वाले लोग अब्दे अली को मकान बनाने से रोक रहे हैं इसीलिए अब्दे अली ने उसके पिता हकीमुद्दीन एवं इरशाद से मिलकर प्रतिवादी महेश के खिलाफ केस डाला है।

15 प्रतिवादी महेश (प्र.सा.—1) ने अपने कथनों में यह बताया कि उसके मकान के सामने 20 फिट चौडा मार्ग शुरु होता है और नगरपालिका ने उसपर 10 फिट का पक्का रोड बनाया है। साक्षी ने आगे यह बताया कि उसके मकान से लगकर सीमेंट रोड बना है इसलिए उसके मकान और रोड के बीच में कच्ची पटरी नहीं छूटी है। साक्षी ने यह बताया कि उसने विवादित रास्ते में से 5 फिट भूमि का अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि 15 फिट में से वादी ने 7.5 फिट चौडा और 123 फिट लंबा भूखण्ड रास्ते की भूमि का क्रय किया है।

16 भरतलाल (प्र.सा.—2) ने अपने कथनों में यह बताया कि विवादित रास्ता मुख्य मार्ग एयरफोर्स रोड से रेल्वे लाईन तक 20 फिट है तथा विवादित रास्ते के दोनों और कच्ची पटरी नहीं है। सुनील (प्र.सा.—3) ने यह बताया कि उसका मकान प्रतिवादी महेश और वादी इरशाद की मकान की लाईन में है तथा उसकी मकान के सामने विवादित रास्ता 20 फिट चौडा है और नगरपालिका ने 10 फिट का सीमेंट रोड बनाया है। साक्षी ने सुझाव दिए जाने पर सीमेंट रोड के दोनों और कच्ची पटरी ना होना बताया है तथा इस सुझाव को गलत बताया कि विकेता गणेश अड़लक ने एयरफोर्स के मेन रोड से डॉ. माइकल के मकान तक 15 फिट चौडा रोड प्लाट क्य करने वालों को दिया था। स्वतः में साक्षी ने बताया कि शुरु से आखिरी तक विवादित रास्ता 20 फिट का है। आगे साक्षी ने यह बताया कि विवादित रास्ते से छोटे वाहनों का आना—जाना हो सकता है, परंतु ट्रक जैसे बड़े वाहन के आने जाने में समस्या आती है। साथ ही नगरपालिका की पाईप लाइन डली होने से आने—जाने में समस्या होती है।

वादीगण द्वारा विवादित रास्ते का सुखाधिकार के संबंध में मात्र मौखिक साक्ष्य पेश की गई है। वादी क. 1 एवं 2 के द्वारा जिस भूखंड के पूर्व में विवादित रास्ता होना बताया गया है। उसका मूल विकय पत्र दिनांक 31.05. 1990 भी प्रस्तृत नहीं किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से यह दर्शित करने के लिए की वादीगण के द्वारा रास्ते की भूमि क्रय कर ली गई है, उनके भूखंड से लगे एवं विवादित रास्ते के दोनों ओर स्थित भूखंड स्वामीयों का विक्रय पत्र पेश किया गया है। साथ ही वादी क. 1 एवं 2 के द्वारा वर्ष 1990 में क्रय किए गए भूखंड के पूर्व क्रय किए गए भूखंडों का भी विक्रय पत्र पेश किया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रदर्श डी-1 दिनांक 20.05.1985 जो कि केता फातिमाबाई के नाम से है एवं प्रदर्श डी-10 दिनांक 08.02.1985 जो विकेता / वादी हकीमुद्दीन तथा प्रदर्श डी-11 दिनांक 07.07.1988 केता सैफूद्दीन के नाम से है एवं जिन्हें प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब दावे के साथ संलग्न नक्शे में क्रमशः कं 5, 2 एवं 4 से दर्शित किया गया है। उपर्युक्त दस्तावेज प्रदर्श डी-1 के अवलोकन से फातिमाबाई के द्वारा क्रय किए भूखंड के सामने 15 फूट का रास्ता होना दर्शित होता है। प्रदर्श डी–10 एवं प्रदर्श डी–11 के अवलोकन से केता हकीमुद्दीन एवं सैफुद्दीन के द्वारा क्य किए गए भूखंड उपर्युक्त भूखण्ड के उत्तर में होना दर्शित होता है। उपर्युक्त स्थिति को वादी अब्देअली के द्वारा अपनी साक्ष्य में बताया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तृत अन्य दस्तावेज विक्रय पत्र प्रदर्श डी-12 जो कि केता हसीनाबी के नाम पर है एवं विकय पत्र प्रदर्श डी-14 जो कि केता मोहम्मद सुलेमान के नाम पर है। उपर्युक्त दस्तावेज के अवलोकन से विवादित रास्ता उत्तर की ओर स्थित मुख्य मार्ग तक 20 फुट होना दर्शित होता है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विकय पत्र प्रदर्श डी-5 एवं प्रदर्श डी-6 के अवलोकन से प्रतिवादी कं 1 एवं 2 के द्वारा भूखण्ड का क्रय किया जाना प्रकट होता है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से विवादित रास्ते का 20 फुट होना बताया गया है परंतु प्रदर्श डी-1 जो कि फातिमा बाई के नाम पर है। उसमें पूर्व की ओर रास्ता 15 फूट होना लेख है। प्रतिवादीगण के द्वारा उपर्युक्त भूखंड के बाद स्थित विवादित रास्ते के दोनों ओर के भुखंडों का विक्रय पत्र पेश किया गया है जिसमें 20 फिट रास्ता लेख है, परंतु प्रदर्श डी-1 का विकय पत्र उपर्युक्त विकय पत्रों से पूर्व का है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा केता फातिमा बाई के भूखंड के ठीक सामने विवादित रास्ते के बाद स्थित भूखंड जिन्हें जवाबदावे के नजरी नक्शा में क्रमशः 8 एवं 9 से दर्शित किया गया है। उनका विक्रय पत्र पेश नहीं किया गया है। साथ ही स्वयं प्रतिवादी महेश (प्र.सा.-1) ने अपने कथनों में बताया है विकेता गणेश का यह कहना है कि उसके द्वारा भूखंडों का विकय किए जाते समय कहीं पर 15 फिट तो कहीं पर 20 फिट रास्ता छोडा गया था। प्रदर्श डी–1 विक्रय पत्र जो कि केता फातिमाबाई के नाम पर है। वह उसके भूखंड के पश्चात स्थित अन्य भूखंडों के क्रय किए जाने से पहले का है। अतः यह उपधारणा की जायेगी कि फातिमाबाई के भूखंड के पूर्व की ओर स्थित रास्ता 15 फिट का है, परंतु वादी कं. 2 द्वारा वर्ष 1990 में उपर्युक्त भूखंड के एवं केता सैफुद्दीन तथा स्वयं के नाम पर स्थित अन्य भूखंड के सामने उत्तर दक्षिण 125 एवं पूर्व पश्चिम लगभग 8 फूट भूमि क्रय कर लिए जाने पर किसी भी स्थिति में उपर्युक्त भूखंड के सामने 15 फूट का रास्ता नहीं रहेगा। इस प्रकार प्रस्तृत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं संभावनाओं की प्रबलताओं के आधार पर यह उपधारणा की जायेगी कि वादीगण के द्वारा वर्ष 1990 में क्रय किए गए भूखंड रास्ते की भूमि का क्रय किया गया है। स्वयं वादी साक्षीगण अब्दूल फरीद (वा.सा.-3) एवं अलीम (वा.सा. -4) ने इस बात का समर्थन किया है कि वादी अब्देअली के द्वारा रास्ते की भूमि क्रय की गई है।

वादीगण के द्वारा विवादित रास्ते का दीर्घ अवधि से उपभोग करने के आधार पर चिरभोगाधिकार का दावा किया गया है। वादीगण ने स्पष्ट अभिवचन नहीं किया है कि वे विवादित रास्ते का उपभोग कब से कर रहे है, ना ही ऐसी कोई मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्य पेश किए है जिससे यह प्रकट हो कि किसी निश्चित समय से वादीगण के द्वारा रास्ते का उपभोग किया जा रहा है। वादी कं 3 इरशाद ने अपने कथनों में यह बताया है कि गणेश कॉलोनी में स्थित भूखंड उसके पिता सुलेमान ने कय किया था परंतु कब खरीदा एवं कब मकान बनाया इसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी इरशाद के पिता सुलेमान के द्वारा कय किए भूखंड का विकय पत्र दिनांक 01/07/1991 (प्रदर्श डी–14) प्रस्तुत किया है यदि उक्त दिनांक से ही वादी इरशाद के द्वारा विवादित रास्ते का उपभोग किया जाना माना जाये तब वादीगण के अभिवचनानुसार दिसंबर 2010 में वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि तक

20 वर्ष नहीं होते हैं। तब वादी इरशाद या उसके पूर्वजों द्वारा लगातार 20 वर्षों तक विवादित रास्ते का उपभाग किया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। वादी कं. 1 एवं 2 के द्वारा वर्ष 1990 में क्य किए भूखंड के पूर्व की ओर 15 फिट रास्ता विक्य पत्र में लेख होने के कारण सुखाधिकार का दावा लाया गया है परंतु वादीगण के द्वारा मूल विकय पत्र दिनांक 31.05. 1990 प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई भी स्पष्ट अभिवचन नहीं है कि वादीगण द्वारा उनके द्वारा क्य किए गए भूखण्डों पर कब गोडाउन निर्मित किया गया। साथ ही यह भी स्वीकृत है कि वादी क्रमांक 01 एवं 02 के क्य किए गए भूखण्डों के उत्तर दिशा में एयरफोर्स की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है तथा स्वयं वादी अब्दे अली (वा.सा.—1) ने भी अपने कथनों में यह बताया है कि गोडाउन का गेट उत्तर दिशा की भी ओर है। वादी क. 01 एवं 02 के गोडाउन तक पहुंचने के लिए विवादित रास्ते के अतिरिक्त उत्तर दिशा की ओर स्थित मुख्य मार्ग उपलब्ध है। तब ऐसी स्थिति में लगातार मात्र विवादित रास्ते का ही 20 वर्षों तक वादीगण द्वारा अपने गोडाउन तक पहुंचने के लिए उपभोग किया गया हो, ऐसा नहीं माना जा सकता।

- 20 वादी अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि वादीगण संपूर्ण 15 फिट के विवादित रास्ते का उपभोग करने के अधिकारी है। मात्र इस कारण कि वर्तमान में विवादित रास्ते से आवागमन हो रहा है। इससे संपूर्ण रास्ते का सुखाधिकार प्रभावित नहीं होता है। साथ ही न्याय दृष्टांत मोवा बुचम्बा विरुद्ध मोवा वेंक्टेश्वर राव एआईआर 1969 ए.पी. 136 जिसमें यह अवधारित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह रास्ते की प्रत्येक इंच की जगह का उपयोग करे। अतिकमण या बाधा करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि जितना रास्ता वर्तमान में खुला है उससे सरलता से आना जाना हो रहा है इसलिए अतिकमण या बाधा नहीं हटायी जा सकती परंतु हस्तगत प्रकरण में वादीगण विवादित रास्ता मौके पर 15 फिट होना प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। साथ ही एकमात्र विवादित रास्ते का 20 वर्षों से लगातर उपभोग किया जाना भी उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में उपर्युक्त न्याय दृष्टांत से वादीगण को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1982 की धारा 15 चिरभोगाधिकार के अर्जन का प्रावधान करती है। यह धारा रास्ते के अधिकार के संबंध में यह प्रावधान करती है— "where a right of way or any other easement has been peaceably and openly enjoyed by any person claiming title thereto, as an easement, and as of right, without interruption, and for twenty years, the right to such access and use of light or air, support or other easement shall be absolute. इस प्रकार रास्ते के उपयोग को चिरभोग द्वारा सुखाधिकार के रूप में अर्जित करने की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें उपरोक्त प्रावधान

### से उद्भूत होती हैं :-

- 1. ऐसे अधिकार का उपभोग होना चाहिए।
- 2. ऐसा उपभोग किसी अन्य की सहमति के बिना होना चाहिए।
- 3. ऐसा उपभोग सुखाधिकार के रुप में होना चाहिए।
- 4. ऐसा उपभोग शांतिपूर्वक होना चाहिए।
- 5. ऐसा उपभोग बिना किसी रुकावट अथवा बाधा के होना चाहिए।
- ऐसे अधिकार का उपभोग निरंतर 20 वर्ष की अविध तक होना चाहिए।
- 7. ऐसा उपभोग खुले तौर पर प्रत्यक्ष रुप से (वचमदसल) होना चाहिए एवं
- ऐसा अधिकार स्वरुप किया जाना चाहिए।
- 22 वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित रास्ते पर सुखाधिकार के लिए दावा लाया है। यह भी देखा जाना है कि क्या वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध सुखाधिकार प्रवर्तित कराये जाने के अधिकारी हैं। इस संबंध में भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 4 एवं 12 अवलोकनीय है। धारा 4 यह उपबंधित करती है कि "सुखाचार एक ऐसा अधिकार है, जो किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को उस हैसियत में उस भूमि के फायदाप्रद उपयोग के लिए किसी अन्य भूमि में या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी नहीं है, कोई वाद करने और करते रहने के लिए प्राप्त है।"
- धारा 12 सुखाधिकार अधिनियम यह उपबंधित करती है कि "कोई सुखाचार उस स्थावर संपत्ति के स्वामी द्वारा जिसके फायदाप्रद उपयोग के लिए उस अधिकार का सृजन किया जाता है अथवा उस पर कब्जा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से अर्जित किया जा सकेगा।" इस तरह सुखाधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का उस स्थावर संपत्ति का स्वामी होना अथवा स्वामी की ओर से आधिपत्यधारी होना आवश्यक है, जिसके फायदे के लिए सुखाधिकार का दावा किया जा रहा है। यहीं पर यह भी आवश्यक हो जाता है कि सुखाधिकार का दावा ऐसी स्थावर संपत्ति जिस पर भार अधिरोपित किया जा रहा हो के अनुसेवी स्वामी या अधिभोगी अनुसेवी के विरुद्ध किया जाए।

24 यह निर्विवादित है कि वादीगण, प्रतिवादीगण एवं गणेश कॉलोनी स्थित समस्त भूखण्ड खसरा नंबर 336 का मूल स्वामी गणेश अड़लक है। स्पष्टतः विवादित रास्ता गणेश अड़लक के स्वत्व की ख. नं. 336 की भूमि है। अतः वादीगण द्वारा विवादित रास्ते पर दावाकृत सुखाधिकार के प्रश्न के संबंध में अनुसेवी स्वामी गणेश अड़लक है, परंतु सुखाधिकार का अनुतोष प्रतिवादीगण से चाहा गया है। ऐसे में प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित रास्ते के संबंध में कोई सुखाधिकार प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।

25 प्रकरण में वादी इरशाद के द्वारा विवादित रास्ते का लगातार 20 वर्षों तक उपभोग किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है तथा वादी क. 01 के द्वारा भी यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि उनके भूखण्ड के उत्तर दिशा की ओर स्थित 40 फिट के मुख्य मार्ग जिसके ओर उनके गोडाउन का गेट भी है, उसका उपभोग ना कर निरंतर 20 वर्ष तक एकमात्र विवादित रास्ते का ही उपभोग किया गया। अतः वादीगण का विवादित रास्ते का सुखाधिकार परिपक्व होना नहीं माना जा सकता। साथ ही विवादित रास्ता मौके पर 15 फिट होना भी उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है और वादीगण धारा 12 सुखाचार अधिनियम के अधीन प्रतिवादीगण के विरुद्ध सुखाधिकार प्रवर्तित कराए जाने के अधिकारी होना भी नहीं पाए गए हैं। परिणामतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि वादीगण को विवादित रास्ते पर सुखाधिकार प्राप्त है। तदनुसार वाद प्रश्न कमांक 01 "नहीं" के रुप में निष्कर्षित होता है।

## वाद प्रश्न क. 02 का निराकरण

26 वादीगण का यह अभिवचन है कि प्रतिवादीगण ने 15 फिट के विवादित रास्ते के 5 फिट पर ट्रांसफार्मर व जनरेटर लगाकर अतिक्रमण कर लिया है, जबकि प्रतिवादी क. 01 एवं 02 का यह अभिवचन है कि उनके द्वारा ट्रांसफार्मर व जनरेटर रास्ते की भूमि पर ना लगाया जाकर नगरपालिका द्वारा निर्मित 10 फिट सीमेंट के रास्ते के बाद अपने मकान की ओर लगाया गया है।

27 प्रतिवादी क. 05 नगरपालिका की ओर से नगरपालिका का यह अभिवचन है कि विवादित रास्ते पर उनके द्वारा नगरपालिका की नाली के बाद प्रतिवादी क. 01 एवं 02 के मकान की ओर पोल खड़े करके ट्रांसफार्मर लगाया गया है तथा प्रतिवादी क. 03 एवं 04 का यह अभिवचन है कि उनके द्वारा नगरपालिका के निर्देशानुसार सड़क के किनारे ट्रांसफार्मर लगाया गया है।

28 वादीगण के द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में वादी अब्दे अली (वा.सा.—1) ने अपने कथनों में यह गलत होना बताया कि बताया कि 10 फिट चौड़े सीमेंट रोड के दोनों तरफ कच्ची पटिटयां नहीं है। साक्षी ने यह बताया कि पूर्व की ओर कच्ची पट्टी इसलिए नहीं है क्योंकि प्रतिवादी महेश ने अतिक्रमण कर लिया है। साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना बताया है कि उक्त रोड के पूर्व दिशा की ओर कच्ची पट्टी पर नगरपालिका के 6 इंच मोटी पानी सप्लाई की पाईप लाईन डली हुई है, परंतु यह सही होना बताया कि पूर्व दिशा में पाईपलाईन के बाद एमपीईबी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इरशाद (वा. सा.-2) ने इस सुझाव को सही बताया कि बिजली के खंबे, ट्रांसफार्मर रोड के बाजू में लगे हैं, सड़क पर नहीं हैं और इस सुझाव को गलत बताया कि सड़क के बाजू में ट्रांसफार्मर के बाजू में नाली बनी हुई है। स्वतः कहा कि नाली बाद में आगे बनी हुई है। साक्षी ने यह भी बताया है कि विवादित रोड के किनारे से प्रतिवादी महेश के मकान की तरफ से 6 इंच मोटी नगरपालिका की पाईप लाइन गई है। स्वतः में साक्षी ने कहा कि रोड के उपर से गई है। पैरा क. 15 में साक्षी ने यह बताया कि डी.पी. और जनरेटर रोड के साईड में लगा है रोड पर नहीं है। पैरा क. 16 में साक्षी ने यह बताया कि प्रतिवादी महेश साहू के मकान से आगे की तरफ उसका मकान है और दोनों के ही मकान की दीवार रोड की तरफ लगभग बराबर ही होगी।

अब्दुल फरीद (वा.सा.—3) ने इस सुझाव को सही बताया कि मौके पर जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है, वह नगरपालिका द्वारा बनाए गए रास्ते और प्रतिवादी महेश के घर के बीच जो खाली जगह है, उसमें लगाया गया है और साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया कि विद्युत मंडल एवं नगरपालिका द्वारा जो भी बिजली के खंबे लगाए जाते हैं वह सड़क के किनारे खाली जमीन पर लगाए जाते हैं। पैरा क. 13 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया कि ट्रांसफर्मर और जनरेटर सड़क के किनारे खाली जगह पर रखा है। स्वतः में साक्षी ने कहा कि रोड की जमीन पर है। पैरा क. 15 में साक्षी ने यह बताया कि प्रतिवादी महेश ने 5 फिट की रोड पर अतिक्रमण किया है और वह इस आधार पर बता रहा है कि रोड के दोनों तरफ 5—5 फिट जगह खुदी हुई है। अनिल (वा.सा.—4) ने अपने कथनों में यह बताया कि प्रतिवादी महेश के मकान के सामने ट्रांसफार्मर नाली पर लगा है।

30 प्रतिवादी महेश (प्र.सा.—1) ने अपने कथनों में इस सुझाव को सही बताया कि नगरपालिका ने उसके मकान से लगाकर सीमेंट रोड बनाया है इसलिए मकान और रोड के बीच में कच्ची पट्टी नहीं छूटी है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसके मकान के बाद स्थित मकानों की बाउंड्रीवाल, उसके मकान के बाउंड्रीवाल से 5 फिट पीछे है। स्वतः कहा कि सबकी बाउंड्रीलाईन सीध में है। भरतलाल साहू (प्र.सा.—2) ने अपने कथनों में इस सुझाव को सही बताया कि प्रतिवादी महेश साहू के मकान के पश्चिम दिशा में सीमेंट रोड से लगी हुई 6 इंच चौडी नाली है। पैरा क. 14 में साक्षी ने यह

बताया कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर, बाउंड्रीवाल से बाहर नहीं निकले हैं। सुनील (प्र.सा.—3) ने यह बताया कि 10 फिट चौड़े सीमेंट रोड के दोनों ओर कच्ची पटरी नहीं छुटी है, उसके मकान के सामने नाली है, फिर सीमेंट रोड है और रोड के दूसरे और 2 से ढाई फिट कच्ची जगह फिर उसके बाद नाली है। पैरा क. 10 में साक्षी ने यह बताया कि उसका तथा वादी इरशाद का मकान प्रतिवादी महेश साहू के मकान की लाईन में है। इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि वादी इरशाद के मकान के सामने 5—6 फिट कच्ची जगह सीमेंट रोड के किनारे से छूटी हुई है। पैरा क. 14 में इस सुझाव को भी गलत बताया कि जब वह अपने मकान से प्रतिवादी महेश के मकान के सामने से मुख्य एयरफोर्स रोड तक जाता है तो उसे प्रतिवादी महेश का मकान सीमेंट रोड से लगा हुआ और बाकी के मकान रोड से पीछे हटकर दिखाई देते हैं।

वादीगण की ओर से विवादित रास्ते पर प्रतिवादीगण के द्वारा 31 अतिक्रमण कर लिए जाने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में संभागीय यंत्री, म.प्र.वि.मं. की ओर प्रेषित नोटिस (प्रदर्श पी-1 एवं 2) उसके संबंध में डाक रसीद (प्रदर्श पी–3 एवं 4) तहसीलदार आमला की ओर प्रेषित आवेदन (प्रदर्श पी-5) प्रस्तृत किया है तथा प्रतिवादीगण की ओर से मौके की वस्तुस्थिति को दर्शित करने के लिए फोटोग्राफ्स (प्रदर्श डी–1 एवं डी 2) प्रस्तृत किए हैं। इस प्रकार यह फोटोग्राफ्स डिजीटल होकर कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा जनित होने के कारण इलेक्ट्रानिक रिकार्ड हैं, उन्हें प्रमाणित करने हेतू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65बी के अधीन कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में न्याय दृष्टांत ANAVAR PV V/S P K BASHEER AND OTHERS 2014ए LAW SUIT (SC) 783 में इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को प्रमाणित करने हेत् साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी-4 के अधीन दिए जाने वाले प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के संबंध में यह अवधारित किया है कि - "An electronic record by way of secondary evidence shall not be admitted in evidence unless the requirements under Section 65B are satisfied. Thus, in the case of CD, VCD, chip, etc. the samme shall be accompanied by the certificate in terms of Section 65B obtained at the time of taking the document, without which, the secondary evidence pertaining to that electronic record, is inadmissible." चूंकि हस्तगत मामले में प्रदर्श डी-1 एवं डी-2 के फोटोग्राफ्स को प्रमाणित करने हेतु ऐसा कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, इसलिए इन फोटोग्राफ्स की अंतर्वस्तु एवं इसके संबंध में आई मौखिक साक्ष्य का अवलंबन नहीं किया जा रहा है।

32 वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर लिए जाने के संबंध में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी साक्षीगण ने ऐसा नहीं बताया है कि प्रतिवादीगण द्वारा जनरेटर व टांसफार्मर विवादित रास्ता (15 फिट) पर नगरपालिका द्वारा निर्मित 10 फिट चौड़ी सीमेंट सड़क के उपर लगाया गया है, परंतु उभयपक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य से ये स्पष्ट है कि सीमेंट रोड के किनारें ट्रांसफार्मर व जनरेटर लगा है। वादीगण का यह भी कहना है कि जिस भूमि पर जनरेटर और ट्रांसफार्मर लगा है वह विवादित रास्ते की ही भूमि है, क्योंकि सीमेंट रोड तो मात्र 10 फिट चौडा है। अभिलेख पर महत्वपूर्ण दरतावेजी साक्ष्य राजस्व निरीक्षक आमला के द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट है। उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उपर्युक्त प्रतिवेदन उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार किया गया है एवं इसके अवलोंकन से प्रतिवादी क. 1 महेश कुमार के द्वारा क्रय किए गए 2400 वर्गफूट में से 2280 वर्गफूट में निर्मित भवन के उपरांत स्वयं के द्वारा छोड़े गये शेष 2 फूट के रिक्त भूखण्ड के साथ-साथ रास्ते की लगभग 2 फिट जमीन पर तार की फेंसिंग एवं चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया जाना तथा विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर रोड की भूमि पर तथा जनरेटर प्रतिवादी क. 01 द्वारा छोड़े गए भूखण्ड एवं रोड की भूमि पर होना प्रकट होता है। उपर्युक्त कमिश्नर प्रतिवेदन को किसी भी पक्ष की ओर से आक्षेपित किया गया है, ना ही कमिश्नर को साक्ष्य में आहूत किया गया है। अतः उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपर्युक्त विवेचना अनुसार यह प्रमाणित पाया जाता है कि प्रतिवादीगण ने विवादित रास्ते पर अतिक्रमण किया है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 02 "हां" के रुप में निष्कर्षित किया जाता है।

### वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

33 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार प्रतिवादीगण द्व ारा विवादित रास्ते पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित पाया गया है, परंतु यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा किया जा रहा अवरोध व हस्तक्षेप अनाधिकृत एवं विधिविरुद्ध तभी माना जाएगा, जब वादीगण का विवादित रास्ते पर सुखाधिकार परिपक्व हो चुका हो, परंतु वादीगण विवादित रास्ते (15 फिट) पर सुखाधिकार का सृजन प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण को विवादित रास्ते पर प्रतिवादीगण द्वारा 2 फिट भूमि पर निर्मित ट्रांसफार्मर, जनरेटर हटाकर विवादित रास्ता दिलाये जाने तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने की सहायता नहीं दी जा सकती। फलतः दावा खारिज किया जाता है और निम्न आशय की डिक्की पारित की जाती है:—

> 1. वादीगण, तहसील अमला जिला बैतूल में स्थित भूखण्ड ख. नं. 336/1 रकबा 0.008 है. (123 फिट उत्तर दक्षिण तथा पूर्व—पश्चिम उत्तर की ओर 8 फिट तथा पूर्व—पश्चिम दक्षिण की ओर 7 फिट) के सामने स्थिति 15 फिट चौड़े मार्ग वाद संलग्न

नक्शे में अ,फ,क,ख,ट में आवागमन के सुखाधिकार की घोषणा के अधिकारी नहीं हैं।

- 2. वादीगण, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा पाऐ जाने के अधिकारी नहीं हैं।
- 3. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 4. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल